

320	सुधा देवी देव कार्याकारी महात्मा गांधी न्यासी परिसर जाल अक्षम रायपुर	1. विहनहरण सिंह पिता स्व. महाराज सिंह निवनि कर्वा 2. अशोक सिंह पिता विहनहरण सिंह निवनि शंकर मगत रायपुर 3. आनंद सिंह पिता विहनहरण सिंह 4. इला मलचुरी पति महेश्वर सिंह कसचुरी शंकरमगत 5. सुभन सिंह पति सिद्धार्थ सिंह शंकरमगत राजनांदगांव 6. सुरेश चौपड़ा पिता फतेहचंद चौपड़ा कसवा 7. ए.के.ओ. शंकर पिता सोनी शंकरमगत कसवा (8) अशोक सिंह पिता सुभन सिंह रायपुर	जमानत मु जाही का शंकर जालमगत रायपुर स्व. अनंतहराम स्व. शंकर के शंकर मगत कार्यकारी
-----	--	--	---

न्याया विलेख दि 09-02-2009	न्याया विलेख दिनांक 09-02-2009	जाल अक्षम रायपुर	जाल अक्षम रायपुर
0-340 (उच्च न्यायालय डी० संहिता 1959 (म०प्र०))	चल संपत्ती 10-05-2000	अचल संपत्ती लिंक	जाल अक्षम रायपुर
तथा अन्य विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी 57 (3), 57 (4), 44 तथा 50 उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चित ईला कर सकता है - ऐसे आदेश के विषय न्याय फाईल किये जाने की का उपचार उपलब्ध नहीं है। तथा (3) - भूमि के स्वामित्व के अधीन विनिश्चित - केवल सिविल को अपील या पुनरीक्षण में आक्षेपित (उच्च न्यायालय) अनुसूचित। आक्षेपित भावेदन पर पुनर्विलोकन शुरू किया की गई अथवा आदेश विधि विरुद्ध अपील में आक्षेपित किया जाना (एक) - पुनर्विलोकन का ही जाना आदेशित - केवल एक ही इकाई सेवा सह-समिति धोरहा के आधार - प्रकरण के समस्त विवाद या विधि के बिन्दु पर विधि	जाल अक्षम रायपुर		